उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

18.9.20 | पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित की बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर विचार किया। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका[illegible] हुक्म [illegible] में [illegible]
	ग्राम मोतीपुरा रकुई की भूमि के दो खाते, खाता नम्बर 82 व 83 पर वादी का सही नाम रामप्रताप पुत्र शंकरलाल अंकित है, परन्तु ग्राम अलोद की भूमि खाता नम्बर 168 पर अन्य खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के साथ वादी का नाम रामप्रताप के स्थान पर प्रताप तथा पिता का नाम शंकरलाल के स्थान पर शंकर दर्ज कर दिया है।	
	सहखातेदारान् ने वादी का वाद स्वीकार कर इकबालिया जवाब पेश किया है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम अलोद की भूमि खसरा नम्बर 1115, 1116, 1117 पर प्रताप पुत्र शंकर के स्थान पर रामप्रताप पुत्र शंकर लाल इन्द्राज किया जावे, ताकि दोनों ग्रामों की भूमि पर नाम की समानता रहे।	
	विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण को वाद वादी स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है।	
	बाद बहस हमने पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादी के वादपत्र के कथन, वांछित अनुतोष, प्रति० के इकबालिया जवाब एवं वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वाद वादी स्वीकार किया	

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की ताम में जारी हु

जकर इकबालिया जवाब पेश करने से वादी एवं प्रतिवादीगण जो वादग्रस्त भूमि के हितबद्ध पक्षकार है, उनके मध्य विवादास्पद बिन्दुओं का अवसान हो गया है।

संलग्न जमाबंदी ग्राम मोतीपुरा खुर्द संवत 2072-75 खाता नम्बर 82 एवं 83 में वादी का नाम रामप्रताप पुत्र शंकरलाल दर्ज है। राशनकार्ड नम्बर 00098, आधार कार्ड नम्बर 489733994675, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र नं: RJ/19/115/162438 जारी दि: 9.10.08, जन आधार कार्ड 4807826672, भामाशाह कार्ड VSJKVNR में वादी का नाम खाता नं: 82-83 ग्राम मोतीपुरा खुर्द अनुसार है।

पक्षकारान् के मध्य नाम दुरुस्ती पर कोई मतभेद नहीं है।

अत: सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

मुआवजा के अनुसार सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम अलोद की भूमि ख. नं. 1115, 1116, 1117 किता 3 (रकबा) 2.07 है. पर वादी का नाम प्रताप पुत्र शंकर के स्थान पर रामप्रताप पुत्र शंकरलाल दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली मी निर्णित में गणना हो।

निर्णय आज दिनांक: 18.9.20 को सरे इजलास सुनाया गया।

(देशल दान)

उपखण्ड अधिकारी

Judi Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे [redacted]

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

बअदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — रामगंजमण्डी

बइजलास — देशल दान (I.A.S.)

रामप्रताप — बनाम — शोभाराम

दावा बाबत — ~~88-89 R.T.~~ Act 1955

मुकदमा नं — 57 — सन् — 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू — देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी श्री एस.आर. अहीर एड. — मिनजानिब मुद्दई व श्री परमानन्द अहीर एड.

— मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम अलोद की भूमि ख० नं० 1115, 1116, 1117 किता 3 रकबा 2.076 पर वादी का नाम प्रताप पुत्र शंकर के स्थान पर रामप्रताप पुत्र शंकरलाल दर्ज किया जावे।

चीज — × — मुबालिग — × — बाबत — ×

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — × — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — × — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 18 — माह — 09 — 2020

को जारी की गई।

दस्तखत — उपखण्ड अधिकारी
ओहदा — रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील पर	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			मुतर्फरिक	....		
मुतर्फरिक	....			मीजान ...		—	—
मीजान....		—	—				

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकार अपना-अपना वहन करें

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

रा. मु. प्रो. 139-2006-1,00,000 फार्म